न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेही घाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–45/2000

कामिनी अवस्थी बनाम गंगाराम आदि

22.01.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित।

प्रार्थना पत्र क–185 मय शपथ पत्र वादिनी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में न्यायालय द्वारा वादिनी को प्रार्थना पत्र कायम मुकामी स्व० गंगाराम क–155 को दिनांक 15.12.2011 को निरस्त करते हुए सही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुपालन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क–169 में भी थोड़ी कमी रह गयी और उक्त कारण से प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए पुनः अनुपालन का अवसर दिया गया, किन्तु अनुपालन में प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र पर भी प्रतिवादी की ओर से सख्त ऐतराज किया गया तथा पूर्व प्रार्थना पत्र के निरस्त होने की दशा में संशोधन प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण हो गया तथा उसे बल न देने की दशा में निरस्त करना पड़ा। उक्त दशा में स्व० गंगा राम की कायम मुकामी हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। स्व० गंगाराम के वारिसान में उनकी पुत्रियां तथा पुत्रगण है, जिसमें से उनके पुत्रगण पहले से ही प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के रूप में पक्षकार हैं। जिस वसीयत के आधार पर न्यायालय द्वारा संशोधन हेतु आदेशित किया गया था उस वसीयत के आधार पर स्व० गंगाराम की पुत्रियों को पक्षकार न बनाते हुए उनकी बहू श्रीमती जयकुमारी को पक्षकार बनाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त दशा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में जो भी विलम्ब है, वह स्पष्ट तौर पर उपरोक्त कारणों से है जो न्यायहित में क्षम्य है तथा यदि उक्त दशा में कोई उपशमन पाया जावे तो वह भी रिकाल किए जाने योग्य है। अतः विलम्ब को क्षमा करते हुए तथा उपशमन को रिकाल करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर वादपत्र में संशोधन चाहा गया है।

विपक्षीगण की ओर से हर्जे हेतु आपत्ति की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिया गया है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। विलम्ब की पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः वारिसान प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वारिसान प्रार्थना पत्र क–185 मु० 100/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी उपरान्त संशोधन अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.02.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी